सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **62/2019** दायर दिनाँक **11.02.2019**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश जोशी पुत्र स्वर्गीय हरिनारायण जोशी, 2. शौभादेवी जोशी पत्नी ओमप्रकाश जोशी, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–बरड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सावित्रीदेवी पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर, 2. गायत्रीदेवी पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर, 3. सम्पतदेवी पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर, 4. मोहनीदेवी पत्नी स्वर्गीय रामेश्वर, 5. जगदीशप्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, 6. शंकरलाल पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, 7. रामपाल पुत्र मूलाराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–बरड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. उप तहसीलदार, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी।

दिनाँक **22.02.2019**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 171 रकबा 01.12 बीघा व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.13 बीघा कुल रकबा 02.05 बीघा भूमि दर्ज थी जिसके नये खसरा नम्बर 265 रकबा 0.2600 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 267 रकबा 0.1100 हैक्टेयर की

2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर),

Scanned by CamScanner

खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल खतौनी पेश है।

वाद पेशगी से लगभग 90 साल पूर्व वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन मालिक जागीरदार ठाकुर साहब श्री भोपालसिंह जी ने उक्त भूमि वादीगण के दादा व दादा श्वसुर तिलोकराम को वास्ते बालाजी मन्दिर की पूजा के एवज में वादी पक्ष को मौखिक रूप से सुपुर्द कर दी थी। उक्त तिलोकराम के बाद उनका पुत्र हरिनारायण जो वादीगण के पिता/श्वसुर थे ने मन्दिर में पूजा की व उक्त जायगा का उपयोग–उपभोग निर्विवाद रूप से किया था तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण उक्त में स्थित बालाजी मन्दिर में पूजा पाठ कर रहे हैं व वादग्रस्त जमीन का उपयोग–उपभोग कर रहे हैं इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने आज कभी कोई आपत्ति नहीं की जबकि उनका नाम सहवन से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।

अब वादीगण वादग्रस्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवाना चाहते हैं।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 265 रकबा 0.2600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 267 रकबा 0.1100 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम से घोषित की जावे व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दायर दिनाँक 11.02.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
ओमप्रकाश राजस्व–वाद, संख्या 62/2019
. वगैरा बनाम् सावित्रीदेवी, वगैरा।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–03, जमाबन्दी ग्राम बरडवा सम्वत् 2070–2073 व सम्वत् 2073–2073 खेवट संख्या 186/212 व 277 खसरा नम्बर 171 व 173 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–01 व प्रदर्श–02, पेश है।

दस्तावेजी साक्ष्य वादी में, वादी ओमप्रकाश का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–01, बजरंगसिंह पुत्र मगनसिंह जाति राजपूत निवासी बरड़वा का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–02, मोतीलाल पुत्र कुम्भाराम जाति जांगिड़ निवासी बरड़वा का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी. डब्ल्यू–03, पेश हुए।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि, वादग्रस्त भूमि को बरड़वा के भूतपूर्व जागीरदार ठाकुर साहब भोपलासिंह जी ने 90 साल पूर्व उक्त भूमि को वादीपक्ष को बालाजी मन्दिर में पूजा अर्चना की एवज में दी थी तब से लेकर आज तक निर्विवाद रूप से वादीपक्ष ही उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादीगण या अन्य ने कभी कोई इस सम्बन्ध में उजर आपत्ति पेश नहीं की है। इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण को दिया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम उक्त खसरा नम्बर की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति–एतराज पेश नहीं है। सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 265 रकबा 0.2600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 267 रकबा 0.1100 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण अपने हक में घोषित करवाना चाहते हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटवाना चाहते हैं तथा प्रतिवादीगण विरूद्ध स्थाई

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ पेश करते है, जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से कोई उजर आपत्ति पेश नहीं है। लिहाजा, वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के हक में घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 तक का नाम हटाया जाना तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी डिक्री निम्न आदेशानुसार सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 265 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 267 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, वादीगण के कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर R.A.S. डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 22.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर R.A.S. डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 62/2019 दायर दिनाँक 11.02.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश जोशी पुत्र स्वर्गीय हरिनारायण जोशी, 2. शौभादेवी जोशी पत्नी ओमप्रकाश जोशी, समस्त,जाति—ब्राह्मण, निवासी—बरड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सावित्रीदेवी पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर, 2. गायत्रीदेवी पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर, 3. सम्पतदेवी पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर, 4. मोहनीदेवी पत्नी स्वर्गीय रामेश्वर, 5. जगदीशप्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, 6. शंकरलाल पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, 7. रामपाल पुत्र मूलाराम, समस्त,जाति—ब्राह्मण, निवासी—बरड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. उप तहसीलदार, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 22.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 265 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 267 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, वादीगण के कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.............
.......–....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
आज की तारीख **22.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गंयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner